न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 880–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 12–01–12 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 167/अ–67/10–11 अपील.

राजेन्द्रसिंह पुत्र तिलकसिंह
निवासी ग्राम अटाकर्नेलगढ़,
तह0 मालथौन, जिला सागर

—— आवेदक

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर,
जिला सागर,म0प्र0

—— अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक– अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 25.8. ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 167/अ–67/10–11 में पारित आदेश दिनांक 12–01–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, खुरई व्दारा गठित दल व्दारा जॉच के दौरान पाया गया कि भूमि खसरा नं0 131 रकबा 1.85 हे. से लगभग 16 ट्रक पत्थर का अवैध पत्थर आवेदक राजेन्द्रसिंह पिता तिलकसिंह व्दारा निकला गया। अतः संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र दिया गया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश

दिनांक 29–11–2010 व्दारा 16 ट्रक पत्थर का बाजार मूल्य 1.60 लाख होने से आवेदक पर बाजार मूल्य से दुगना अर्थात 3.20 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील में कलेक्टर जिला सागर ने अपने आदेश दिनांक 29–09–11 में यह निष्कर्ष निकाला कि गठित संयुक्त दल व्दारा स्थल निरीक्षण तथा सर्वे दल के सदस्य श्री मरावी के कथनों से स्पष्ट है कि राजेन्द्रसिंह ने शासकीय भूमि खसरा नं0 131 से बिना पूर्व अनुमति के अवैध रूप से 16 ट्रक पत्थर निकाला गया। खनिज का तत्समय बाजार मूल्य 1.60 लाख होने से आरोपित शास्ति को सही होना माना और अपील खारिज की। व्दितीय अपील अपर आयुक्त व्दारा खारिज की गयी है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक ने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा 247 में बनाये गये आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय व्दारा आवेदक को सुनवायी एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है। जॉच कमेटी व्दारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन परे स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि धारा 247(7) का कारण बताओ सूचनापत्र कलेक्टर व्दारा दिया जाना चाहिये था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी व्दारा जारी किया गया है जो अवैधानिक है। आवेदक को शासकीय साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। मौके पर किसी प्रकार का कोई पत्थर जप्त नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा बिना अनुमति के शासकीय भूमि से अवैध पत्थर का उत्खनन किया। शासन की ओर से विधिवत साक्ष्य लेने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित

किया है। उनका तर्क है कि आवेदक को विधिवत कारण बताओ सूचनापत्र अनुविभागीय अधिकारी व्दारा दिया गया जिसका जबाव भी आवेदक व्दारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का बयान भी विचारण न्यायालय ने लिपिबध्द किया है जिसमें उसने उत्खनन मकान बनाने के लिये करना स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत अधिकारिता शासन व्दारा प्रदत्त की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि आवेदक राजेन्द्रसिंह ने दिनांक 31–3–05 को कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया और उसकी उपस्थिति में हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार के कथन अंकित किये गये। शेष साक्ष्य हेतु अनुविभागीय अधिकार ने दिनांक 4–4–05 नियत की। दिनांक 4–4–2005 को अनावेदक राजेन्द्रसिंह तथा नायब तहसीलदार, मालथौन एवं राजस्व निरीक्षक, मालथौन उपस्थित हुए और अनुविभागीय अधिकारी व्दारा श्री एस0के0 जैन, नायब तहसीलदार एवं श्री टी. पी. श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक के कथन अंकित किये तथा शेष साक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश देते हुए प्रकरण 11–04–05 को नियत किया। नियत दिनांक 11–04–05 को आवेदक राजेन्द्रसिंह अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित था और उसकी उपस्थिति में पुलिस चौकी प्रभारी श्री पी.डी. शुक्ला, डिप्टी रेंजर श्री बी. एस. मरावी तथा खनिज अधिकारी श्री विकास सोनी के कथन अंकित किये गये और प्रकरण अनावेदक/आवेदक की साक्ष्य हेतु 15–4–05 को नियत किया। दिनांक 15–4–05 को प्रकरण पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहने से बढ़ाया गया और प्रकरण में आगामी तिथि 7–5–05 नियत की। तत्पश्चात आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अनेकों बार सूचनापत्र भेजने के पश्चात दिनांक 22–6–07 को अनावेदक/आवेदक को जमानती वारन्ट से तलब करने के आदेश दिये और प्रकरण 9–7–07 को नियत किया। आवेदक दिनांक 9–7–07, 23–7–07 को अनुविभागीय अधिकारी

के न्यायालय में उपस्थित हुआ, किन्तु उसके व्दारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और तत्पश्चात पुनः अनुपस्थित रहा। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक को पुनः सूचनापत्र जारी कर आहूत किया गया। दिनांक 28–9–08 को आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हुआ और अनुविभागीय अधिकारी व्दारा शासन की ओर से पटवारी एवं अनावेदक/आवेदक राजेन्द्रसिंह के कथन अंकित किये तथा अनावेदक/आवेदक के तर्क सुनने के बाद प्रकरण आदेश हेतु नियत किया।

6/ उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक की उपस्थिति में शासन की साक्ष्य लिपिबध्द की गयी है तथा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा दिया गया, किन्तु आवेदक व्दारा जबाव एवं अपने स्वयं के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और ना ही शासकीय साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण किया गया। शासन व्दारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से शासकीय खसरा नं0 131 से आवेदक व्दारा 16 ट्रक पत्थर का अवैध उत्खनन करना सिध्द है। आवेदक राजेन्द्रसिंह का बयान अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख पृष्ठ 37 पर उपलब्ध है। राजेन्द्रसिंह ने अपने बयान में स्वयं कहा है कि भूमि खसरा नं0 131 के भाग से मकान बनाने के लिए पत्थर निकाले थे, 5X6 का गड्ढा खोदा था। वर्तमान में कार्य बन्द है। आवेदक व्दारा मकान बनाना साक्ष्य से सिध्द नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय व्दारा आवेदक व्दारा शासकीय भूमि से अवैध उत्खनन करने से बाजार मूल्य रू. 1.60 लाख की दो गुना राशि रू. 3.20 लाख अर्थदण्ड अरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। संहिता की धारा 247 (7) की शक्तियॉ शासन व्दारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त की गयी है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा जारी कारण बताओ सूचनापत्र क्षेत्राधिकार रहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा तथ्य के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 12–01–12 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0